भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5245

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1941 (शक)

एलईडी वस्तुओं की सुरक्षा

5245. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील :

श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बेची गई 50 प्रतिशत एलईडी वस्तुएं असुरक्षित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या एलईडी निर्माता बीआईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) क्या इन वस्तुओं का अवैध रूप से निर्माण किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से **(ख)** : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने उस समय सीआरओ के अंतर्गत अधिसूचित उत्पाद के लिए 'नकली इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की उपलब्धता' तथा "इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 (सीआरओ)" के प्रभाव पर वर्ष 2017 में एक अध्ययन कार्य सौंपा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ल्यूमिनेयर और स्व-बेलॉस्टिड एलईडी लैंप सामान्य सेवा लाइटिंग के लिए शामिल हैं। उपर्युक्त अध्ययन रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ऐसी एलईडी वस्तुओं का अनुपालन जिन पर अध्ययन के समय सीआरओ लागू था, नीचे दिए अनुसार है :

क्र.सं.	**मद**	**अनुपालन**
1	सामान्य प्रयोजन की स्थिर एलईडी ल्यूमिनेयर	90.7%
2	सामान्य लाइटिंग सेवाओं के लिए स्व-बेलास्टिड एलईडी लैंप	94.8%

(ग) से **(च)** : ये उत्पाद बीआईएस अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित भारतीय सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए अधिसूचित है। सीआरओ के प्रावधानों के अनुसार विनिर्माता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पादों के परीक्षण के आधार पर देश में वस्तुओं के विनिर्माण अथवा बिक्री, आयात अथवा वस्तुओं के वितरण के लिए भंडारण से पहले बीआईएस से पंजीकरण लेना होता है तथा उत्पाद में बीआईएस के मानदंड चिह्न प्रदर्शन करना होता है। पंजीकृत उत्पादों के लिए भारतीय मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन बीआईएस से मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में निगरानी नमूने के परीक्षण के जरिए किया जाता है। ऐसे उत्पाद जिनमें यह अनुपालन नहीं किया जाता है, उन्हें बीआईएस के पास बीआईएस अधिनियम/नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, शिकायतों के जरिए प्राप्त सूचना के आधार पर गैर-अनुपालन उत्पादों पर बीआईएस अधिनियम/नियमावली तथा सीआरओ के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

बीआईएस ने सूचित किया है कि गैर-अनुपालन बीआईएस चिह्नित एलईडी उत्पादों की बिक्री के संबंध में शिकायतों के दो मामलों में उन्होंने पांच छापे मारे हैं। जांच के आधार पर एक मामले में बीआईएस अधिनियम के अनुसार अभियोजन शुरू किया गया।

इसके अलावा, ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो ने अपने मानको और लेबलिंग (एसएण्डएल) कार्यक्रमों के अंतर्गत एक उपकरण के रूप में एलईडी बल्बों को शामिल किया है जिसका उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्तापूर्ण और ऊर्जाक्षम एलईडी बल्बों के इस्तेमाल में वृद्धि करना है। एलईडी बल्ब इस समय स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की अनिवार्य प्रणाली के अंतर्गत हैं। तदनुसार, भारत में विनिर्मित, व्यावसायिक रूप से खरीदे अथवा बिक्री किए गए प्रत्येक एलईडी बल्ब को ऊर्जा के कार्यनिष्पादन के विनिर्धारित मानदंड पूरे करने होंगे । इस संबंध में किसी भी प्रकार से अनुपालन नहीं करने वाले एलईडी विनिर्माता/आयातकर्ता/व्यक्ति ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की 26 धारा के अनुसार दंड के पात्र होंगे।

******